प्रकरण संख्या 35/2017 धनजी बनाम कलसेंग व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 63, 91, 92ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झकोडीयानाथा में आराजी नंबर 453, 454, 455, 456, 459, 542/462 कुल किता 6 रकबा 8.01 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चला आ रहा है। आराजी नंबर 459 पर वादी का पिछले 30 वर्षो से मकान बना होकर वादी परिवार सहित उसमें निवास कर रहा है। प्रतिवादीगण का अन्य गांव में निवास करने से उनका इस भूमि पर कब्जा नहीं है एवं वादी 50 वर्षो से भी अधिक समय से निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, जिससे वह प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार हो चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भाई मानसिंग जो लौऔलाद फोत हुआ, प्रतिवादी व उसके भाई मानसिंग द्वारा वाद संख्या 43/2004 उनवानी मानसिंग बनाम धनजी उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक 29.05.2009 को खारिज कर दिया गया, जिसकी द्वितीय अपील आर.ए.ए. में 118/2007 प्रस्तुत की गयी जो भी दिनांक 18.06.2010 को खारिज कर दी गयी, जिसकी कोई अपील विचाराधीन नहीं होने से उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम होकर आज भी यथावत है। फिर भी प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 01.06.2016 से यह आदेश पारित किया कि ''उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ द्वारा पूर्व में निर्णय किया जा चुका है। उपलब्ध रेकार्ड अनुसार माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा विपक्षी की अपील खारिज की गई है। लिहाजा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को बहाल रखा गया। तद्नुसार पुनः आदेश जारी हो।'' अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 01.09.2017 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से वकील अपीलान्ट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ [illegible] 5 [illegible]ब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण की जानकारी चाही गयी, [illegible] अपीलान्ट को जानकारी नहीं दी गयी एवं सुनवाई की आगामी कोई तारीख पेशी नहीं बतायी गयी। दिनांक 27.[illegible].2017 को उक्त निर्णय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

की जानकारी हुई तो नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 31.07.2007 को प्राप्त हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा मुख्य रूप से यह उजर लिया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की साक्ष्य लिऐ बिना एवं वादी को सुने बिना अभियान के दौरान एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वादी/अपीलान्ट का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.02.2016 अनुसार पैरोकार सरकार द्वारा जवाब हेतु समय चाहे जाने पर दिनांक 06.04.2016 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 06.04.2016 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से दिनांक 06.06.2016 की पेशी नियत की गयी, किन्तु दिनांक 06.06.2016 से पूर्व ही दिनांक 01.06.2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर बिना राजकीय पैरोकार का जवाब लिये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि ''उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ द्वारा पूर्व में निर्णय किया जा चुका है। उपलब्ध रेकार्ड अनुसार माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा विपक्षी की अपील खारिज की गई है। लिहाजा उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को बहाल रखा गया। तद्नुसार पुनः आदेश जारी हो।'' अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.06.2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.08.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(अनिता मीना)
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर